न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 40/2013 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2013/00069

अपीलांटगण :–
सारकी पत्नी लाखाराम जाति बावरी निवासी बुधवाड़ा तहसील पाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–
1. पेमाराम पुत्र श्री खीमाजी के विधिक वारिशान :–
   1/1. चम्पा देवी पत्नी श्री पेमाराम
   1/2. घेवरराम पुत्र श्री पेमाराम जाति बावरी निवासी निम्बली ब्राहम्ण तहसील रोहट जिला पाली।
   1/3. समदु पुत्री श्री पेमाराम निवासी साटेलाव तहसील रोहट जिला पाली।
2. किशनाराम पुत्र श्री खीमाजी जाति बावरी निवासी अरटिया तहसील रोहट जिला पाली।
3. तहसीलदार, पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11-10-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 691 दिनांक 23.5.1993 जो तहसीलदार पाली द्वारा मौजा अरटिया के खसरा नंबर 322 रकबा 15 बीघा बाबत भरा जाकर पारित किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस बावजूद आवाजें लगवाने के भी उपस्थित नहीं आये। तथा रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेंटगण उनके सम्पर्क में नहीं होने की बात करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित कराने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण सन् 2013 का 8 वर्ष पुराने होने से अपील एवं अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण पर बाद विचार ही अन्तिम निर्णय करना उचित समझते हुए अपील में वर्णित तथ्यों एवं रेकर्ड के बाद अवलोकन के अन्तिम निर्णय किया जाता है।

वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलांट खीमाजी जाति बावरी की पुत्री है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 के पिता पेमाराम व रेस्पोडेंट संख्या 2 किशनाराम की बहिन है। खीमाजी की मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 691 पारित किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 के पिता व रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम भरकर पारित किया गया जबकि अपीलांट का नाम बतौर वारिस खीमाराम की जायन्दा पुत्री होने के बावजूद नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया जो काबिल खारिज है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पुत्र व पुत्रियों का हक बराबर है इसलिए नामान्तरकरण रेस्पोडेंटगण व अपीलांट के नाम भरा जाना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है इस प्रकार नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध है इस लिए नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे तथा उसकी जायन्दा पुत्री सारकी का नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज कराने का आदेश फरमावे।

वकील अपीलांट द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों एवं मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु 1 है:–

1. क्या अपीलांट सारकी पत्नी लखाराम स्व. खीमाजी की जायन्दा पुत्री है ?

प्रस्तुत अपील में मात्र अपीलांट द्वारा ही यह उल्लेख किया गया है कि सारकी खीमाराम की पुत्री है अधिवक्ता अपिलांट ने सारकी के स्व. खीमाजी की पुत्री होने का एक भी साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है तथा न ही रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 व 2 ही उपस्थित हुए है जो यह कह सकते है कि सारकी स्व. खीमाजी की जायन्दा पुत्री है या नहीं ऐसी स्थिति में इस अपील में सारकी को बिना किसी ठोस साक्ष्य [illegible] खीमचाजी की जायन्दा पुत्री है यह न्यायोचित नहीं है जबकि अपीलांट को स्व. [illegible] की पुत्री होने बाबत साक्ष्य दस्तावेज आदि पेश कर यह तथ्य सिद्ध करना था [illegible]।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट [illegible] होने से खारिज [illegible] है एवं तहसीलदार पाली के आदेश दिनाँक 24.5.1993 के द्वारा पारित नामान्तरकरण [illegible]691 ग्राम अरटिया को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-10-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:26:42 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली